

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 893]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937

No. 893]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015 /VAISAKHA 11, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2015

का.आ. 1148(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (3) और धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डा. मामीडाला जगदीश कुमार, आचार्य, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (3) और धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजीव शर्मा, पूर्व सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 10/38/2011-पुनर्गठन]

एस. एल. बरोडिया, उप सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2015

S.O. 1148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 and sub-section (2) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints Dr. Mamidala Jagadesh Kumar, Professor, Indian Institute of Technology, Delhi, as a part-time member of the Telecom Regulatory Authority of India for a period of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 and sub-section (2) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints Shri Rajiv Sharma, former Secretary General, National Human Right Commission, as a part-time member of the Telecom Regulatory Authority of India for a period of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No. 10/38/2011-Restg.]
S. L. BARODIA, Dy. Secy.